

क्र.सं. और तारीख	आदेश और पदधिकारों का हस्ताक्षर	दिनांक, तारीख के साथ
<p>क्र.सं. 5/2018 दिनांक 28-03-2018</p> <p>श्री रंजन कुमार सिंह, पिता श्री रामवचन सिंह, पिता श्री मुकेश कुमार सिंह, श्री मुकेश कुमार सिंह, पिता स्व० चन्देश्वरी सिंह, सा+पे०-वीरपुर, थाना-शंकरपुर, जिला-मधेपुरा, थाना-शंकरपुर, जिला-मधेपुरा को सूचनाएं एवं बुलावनाथ प्रेषित।</p> <p>श्री रंजन कुमार सिंह, पिता श्री मुकेश कुमार सिंह, पिता स्व० चन्देश्वरी सिंह, सा+पे०-वीरपुर, थाना-शंकरपुर, जिला-मधेपुरा को सूचनाएं एवं बुलावनाथ प्रेषित।</p> <p>श्री रंजन कुमार सिंह, पिता श्री मुकेश कुमार सिंह, पिता स्व० चन्देश्वरी सिंह, सा+पे०-वीरपुर, थाना-शंकरपुर, जिला-मधेपुरा को सूचनाएं एवं बुलावनाथ प्रेषित।</p> <p>श्री रंजन कुमार सिंह, पिता श्री मुकेश कुमार सिंह, पिता स्व० चन्देश्वरी सिंह, सा+पे०-वीरपुर, थाना-शंकरपुर, जिला-मधेपुरा को सूचनाएं एवं बुलावनाथ प्रेषित।</p>	<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">न्यायालय, समाहर्ता एवं जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा।</p> <p style="text-align: center;">-- आदेश :-</p> <p>श्री रंजन कुमार सिंह पे० श्री रामवचन सिंह, सा० वीरपुर, थाना जुरावनपुर, जिला वैशाली, हाल सा० जिरवा, थाना शंकरपुर, जिला मधेपुरा ने माननीय The Bihar Land Tribunal Patna के B.L.T.Case No. 651/2017 Ranjan Kurnar Singh Versus The State of Bihar & Others में दिनांक 28-03-2018 को पारित आदेश की सत्यापित प्रति की छायाप्रति के साथ आवेदन दाखिल करते हुए माननीय न्यायादेश के आलोक में विपक्षी सं०-05 रमेश पासवान पे० स्व० नारायण पासवान, विपक्षी सं०-06 सुनील पासवान पे० स्व० नारायण पासवान एवं विपक्षी सं०-07 दिनेश पासवान पे० स्व० नारायण पासवान, सा० जीरवा, थाना शंकरपुर, जिला मधेपुरा के पिता श्री नारायण पासवान के नाम से वासगीत पर्चा वाद सं०-10/1977-78 के माध्यम से मौजा जीरवा, खाता नया-656, खेसरा नया-8373, रकवा-11 डी० का निर्गत वासगीत पर्चा के आधार पर श्रुजित जमावंदी सं०-11 को रद्द कर आवेदक के जमावंदी में शामिल कर मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अंचल अधिकारी, शंकरपुर को आदेश देने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>आवेदक से प्राप्त दिनांक 28-03-2018 को पारित न्यायादेश की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। पारा-06 में अंकित आदेश इस प्रकार है :- "After considering the submissions and the materials on record, it is evident from perusal of the impugned order that a specific finding has been recorded by the Collector that the opposite party Nos. 5 to 7 were settled 1-04 acre land by the government prior to the grant of parcha. This single finding by the Collector which has not been controverted before this court is sufficient to hold that opposite party Nos. 5 to 7 are not privileged persons as defined in B.P.P.H.T.Act. The conclusion, therefore, is inevitable that the impugned order passed by the Collector, cannot be legally sustainable. Accordingly, the present application is allowed and impugned order dated 10-06-2017 passed by the Collector, Madhepura, in Basgit Purcha Revision Case No. 06 of 1016 is set aside. The basgit parcha granted in favour of opposite party Nos. 5 to 7 with regard to land in question mentioned in detail in the impugned is hereby annulled."</p> <p>उपरोक्त पारित न्यायादेश के अनुसार वासगीत पर्चा पुनरीक्षण वाद सं०-06/2016 रंजन कुमार सिंह एवं अन्य बनाम रमेश पासवान एवं अन्य में दिनांक 10-06-2017 को पारित किए गए आदेश को अवरुद्ध (set aside) करते हुए वासगीत पर्चा के आधार पर श्रुजित जमावंदी को अवैधानिक घोषित कर दिया गया है। वासगीत पर्चा वाली जमीन का ब्यौरा मौजा जीरवा, खाता नया-656, खेसरा नया-8373, रकवा-11 डी०, जमावंदी सं०-11 है। उक्त परिपेक्ष्य में अंचल अधिकारी, शंकरपुर को आदेश दिया जाता है कि वे माननीय न्यायादेश के आलोक में विपक्षी के पिता के नाम से निर्गत वासगीत पर्चा एवं श्रुजित जमावंदी को खारिज करते हुए नियमानुसार वादीगण (भूस्वामी) के नाम से पूर्व श्रुजित जमावंदी में शामिल करवा सुनिश्चित करेंगे। तदोपरान्त लगान रसीद निर्गत कर देंगे। तत्संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर भेजना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p style="text-align: right;">समाहर्ता, मधेपुरा।</p> <p>लेखापित एवं शुद्धिकृत, समाहर्ता, मधेपुरा।</p>	<p style="text-align: center;">3</p>